19-8-19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी सहायक कलक्टर, आमेर जिला जयपुर को जरिये नोटिस क्रमांक आर.टी.आई./19/1371 दिनांक 25.07.2019 द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराई जावे तथा अपील का बिन्दुवार उत्तर दिनांक 05.08.2019 से पूर्व इस न्यायालय को प्रेषित कराना सुनिश्चित किया जावे। प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.06.2019 को जरिये पंजीकृत डाक लोक सूचना अधिकारी सहायक कलक्टर, आमेर जिला जयपुर को सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत/प्रेषित किया गया था। दिनांक 18.07.2019 तक भी प्रार्थी/अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, आमेर द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नही कराने पर अप्रालार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसे दर्ज रजिस्टर कराया जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, आमेर को नोटिस जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, आमेर से दिनांक 14.08.2019 को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 495 दिनांक 14.08.2019 से सूचना प्राप्त हुई है। सहायक कलक्टर, आमेर द्वारा अपने जवाब में यह अंकित किया है कि वांछित सूचना के संबध में आवेदक को पत्र क्रमांक 398 दिनांक 01.07.2019 द्वारा मांग पत्र प्रेषित किया गया था किन्तु आवेदक द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा नही कराया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।	ACM आमेर का पत्रांक 495 प्राप्त 14/8/19 पालना पत्रांक जारी 1566-67 6-9-19

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा सहायक कलक्टर, आमेर सूचना चाही गई है। अपीलार्थी द्वारा जो सूचना चाही गई है उसके संबध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा तीन पृष्ठों के 6/– रूपये जमा कराने हेतु उनके पत्र क्रमांक 398 दिनांक 01.07.2019 द्वारा निदेर्शित किया था। इसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराकर सूचना प्राप्त नही की गई है। चूंकि वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराने योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, आमेर को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करावे। इस हेतु लोक सूचना अधिकारी सहायक कलक्टर, आमेर जिला जयपुर एवं प्रार्थी को पालना हेतु पत्र जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. अशोक कुमार)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
अति. कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

Scanned by CamScanner